राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक.प्रक./पार्ट–2/2010 जयपुर, दिनांकः–

12 FEB 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक जे 11060/1/2011– एमजीनरेगा–I दिनांक 18.10.2011 एवं 06.01.2012, समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2012 एवं दिनांक 02.02.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.10.2012 एवं दिनांक 06.01.2012 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा आपरेशनल गाईडलाईन के पैरा 6.1.1 (viii) में संशोधन किया गया है जो कि अब संशोधन उपरान्त निम्न प्रकार है :–

(viii) Rural connectivity to provide all-weather access comprises of two categories of roads (1) Roads that connect a village to another village or to a main road and (2) Roads that are internal (within the residential areas of villages). As regards category (1) above, care should be taken not to take up roads included in the PMGSY network under Mahatama Gandhi NREGA and construction of such roads should include culverts/Cross drainage where necessary, As regards internal roads , the following is to be observed:

(a) As per local availability of material and requirement of the area for the construction of village internal streets (not roads connecting habitations.) stone kharanja or brick kharanja or cement concrete or cement concrete interlocking blocks may be used.

(b) The State Government will lay down procedure to ensure that the quality of material being procured & the process used for laying precast cement concrete blocks in constructing cement concrete interlocking block roads follow appropriate standards. (IRC reference IRC SP : 63-2004 "Guidelines for the use of Interlocking Concrete Block Pavement" may be referred to)

(c) The width of such internal roads taken up under this provision should not be more than 2.50 meter.

(d) Internal Roads within the village area should be taken up alongwith proper drainage arrangement.

(e) **Priority should be given to roads that give access to SC/ST habitations.**

(f) **Labour material ratio 60:40 should be maintained at the Gram Panchayat level.**

बिन्दु संख्या (viii) (b),(c) व (f) की पालना में सी.सी. इन्टरलोकिंग ब्लाक्स के माध्यम से आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.01.2012 एवं 02.02.2012 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।

उपरोक्त सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि गांवों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य क्षेत्र की आवश्यकता एवं स्थानीय स्तर पर सामग्री की उपलब्धता अनुसार पत्थर/ईंट खरंजे या सीमेन्ट कंक्रीट या इन्टरलोकिंग सी.सी. ब्लाक्स के माध्यम से करवाया जा सकता है।

भवदीय,

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), इजीएस, जयपुर।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जिला परिषद् समस्त को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति श्रीमान् जिला प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी विकास अधिकारी, एवं सभी सरपंचगण को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
7. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस